न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

: 71/2024
ीएमएस : 2024/165

लखविन्द्रसिंह बनाम गुरदयाल सिंह कृष्णभनोत आदि
अन्तर्गत धारा 88–188–92 आरटीएक्ट

थति :–
अजय तनेजा वकील प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 2 ता 5/4)
जीतपालसिंह वकील अप्रार्थी (वादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी
–: निर्णय प्रार्थनापत्र :–

दिनांक : 21.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 10.12.2024 को प्रार्थी अवतारकृष्ण भनौत आदि प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5/4 ने जरिये श्री अजय तनेजा अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने वाद–पत्र मृत व्यक्ति प्रतिवादी सं. 1 गुरदयाल कृष्ण भनौत के विरूध वाद पेश होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है वादी द्वारा वाद पत्र बेचान के आधार पर पेश किया गया है परन्तु बेचान संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है तथा ना ही कोई सदृढ साक्ष्य वादी के पास है एवं वादी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का विधिक अधिकारी ना होने के कारण वाद वादी द्वारा विधि वर्जित होने से काबिल खारिज के है वादी वादग्रस्त भूमि का न तो खातेदार है ना ही सहखातेदार है इसलिए भी वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वाद–पत्र वादी मौजूदा स्तर पर निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे।

2. अप्रार्थी (वादी) अधिवक्ता ने दिनांक 28.01.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया। कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5/4 विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने के कारण खारिज किये जाने के योग्य है। प्रतिवादी सं. 1 गुरदयाल कृष्ण भनौत से वादी का सीधा सम्पर्क न रह पाने के कारण उसकी मृत्यु का ज्ञान नहीं हो सका ना ही अन्य पक्षकारों ने मृत्यु के बारे में बताया। वादी सद्भावी है विवादित रकबा पर प्रतिकूल कब्जा का बिन्दू साक्ष्य आधारित होने से प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र नहीं है प्रतिवादी ने यह प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण में उलझाव व देरी पैदा करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है प्रतिवादीगण सद्भावी नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है एवं विशेष हर्जाना प्रतिवादीगण से वादी प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण मौजूदा स्तर पर मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जाकर खर्चा जबावदेही व विशेष हर्जाना प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावे।

3. बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी ने वाद–पत्र मृत व्यक्ति प्रतिवादी सं. 1 गुरदयाल कृष्ण भनौत के विरूद्ध पेश होने व वादी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने निर्णय अनवान तारा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य सिविल अपील संख्या [illegible]85/2001 निर्णय दिनांक 15.07.2015 में विस्तार से विवेचन किया है कि प्रकरण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जाने व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण उक्त दावा चलने योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थी (वादी) का वाद –पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.26 12:20:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार "उस प्रक्रिया का जो वादों के विषय में इस संहिता में उपबन्धित है, सिविल अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में की सभी कार्यवाहीयों में वहां तक अनुसरण किया जायेगा जहां तक वह लागू की जा सके" ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन कि आ. 7 नि. 11 सीपीसी के प्रावधान प्रार्थना–पत्रों पर लागू होते है। मान्य है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार 6 आधारो पर ही वादपत्र/प्रार्थना पत्र ना मंजूर किया जा सकता है। (1) जहां वह वाद हेतूक प्रकट नहीं करता है। (2) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है। (3) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है, किंतु वाद पत्र अप्रर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिया गया है। (4) जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। (5) जहां वाद दो प्रतियो में फाईल नहीं किया जाता है। (6) जहां वादी नियम 9 के परन्तुकों का पालन करने में असफल रहता है। उक्त आधारों के तहत वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जायेगां। उक्त वाद पत्र में अभिव्यक्त कथनों से प्रतीत होता है कि वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

उक्त विवेचन के आधारों न्यायालय के विनम्र मत अनुसार प्रार्थी (प्रतिवादी स. 2 ता 5/4) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत **आदेश 7 नियम 11 सीपीसी** को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी (वादी) के द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक **21.05.2025** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.26 12:20:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner